2020/00252

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री डॉ. पी.एम. सिंहदेव पुत्र श्री जी.रामचन्द्र मीना जाति मीना निवासी 7/8 [illegible] विहार हरी मार्ग जगतपुरा जयपुर जिला जयपुर		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 54 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 19.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि राजस्व वाद सं. 1/96, 44/97, 51/99, धारा 61, 175 काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत के निर्णय की प्रतिलिपी एवं नायब तहसीलदार सिरोही के पत्र क्रं. 513 दिनांक 19.06.1996 जो तहसीलदार सिरोही को भेजा गया जिसमें अपीलांट खातेदार दर्ज है, इन्होने अपनी सम्पूर्ण अराजिका का परित्याग कर दिया है आदि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 19.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि राजस्व वाद सं. 1/96, 44/97, 51/99, धारा 61, 175 काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत के निर्णय की प्रतिलिपी एवं नायब तहसीलदार सिरोही के पत्र क्रं. 513 दिनांक 19.06.1996 जो तहसीलदार सिरोही को भेजा गया जिसमें अपीलांट खातेदार दर्ज है। इन्होने अपनी सम्पूर्ण अराजिका का परित्याग कर दिया है आदि से सम्बन्धित चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को आदेशित किया जाता है कि राशि जमा होने पर अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि [illegible] नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचि[illegible] । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो[illegible] (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:50:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner